Roll No. …………………..

LM–107

Judicial Process

(न्यायिक प्रक्रिया)

Master of Law LLM–12/16)

Second Year, Examination, 2017

Time : 3 Hours **Max. Marks : 60**

Note : This paper is of **sixty (60)** marks containing **three (3)** sections A, B and C. Learners are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्न पत्र साठ (60) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों 'क', 'ख' तथा 'ग' में विभाजित है। शिक्षार्थियों को इन खण्डों में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Section–A / खण्ड–क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'A' contains four (04) long answer type questions of fifteen (15) marks each. Learners are required to answer *two* (02) questions only.

नोट : खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पन्द्रह (15) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Write an essay on personal liberty with the help of decided cases.

   निर्णीत वादों की सहायता से दैहिक स्वतंत्रता पर एक लेख लिखिए।

2. Explain the role of judicial process as an instrument of social ordering.

   सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

3. What is the concept of Justice or Dharma in Indian thought ?

   भारतीय चिन्तन में न्याय या धर्म की क्या अवधारणा है ?

4. Describe the inter-relationship between judicial process and creativity in law.

   न्यायिक प्रक्रिया तथा विधि की सृजनात्मकता के बीच अन्तर्सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।

Section–B / खण्ड–ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Section 'B' contains eight (08) short answer type questions of five (05) marks each. Learners are required to answer *four* (04) questions only.

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए पाँच (05) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain the process of appointment of Chief Justice of Supreme Court.

   उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

2. Write a short note on law and social change.

   विधि और सामाजिक परिवर्तन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

3. Explain the concept of judicial review of legislation.

   विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

4. What are the different theories of justice ?

   न्याय के विभिन्न सिद्धान्त क्या हैं ?

5. Define Judicial precedent and explain its importance.

   न्यायिक पूर्व निर्णय की परिभाषा दीजिए तथा उसके महत्व का वर्णन कीजिए।

6. Make difference between due process of law and procedure established by law.

   विधि की सम्यक् प्रक्रिया तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

7. Explain Judicial Activism.

   न्यायिक सक्रियता को समझाइए।

8. Define Equality before law.

   विधि के समक्ष समानता को परिभाषित कीजिए।

Section–C / खण्ड–ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note : Section 'C' contains ten (10) objective type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory.

नोट : खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Write True/False :

सत्य/असत्य लिखिए :

1. 'Procedure established by law' is not used under Article 21.
   अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

2. Right to equality is provided under Article 13 of constitution.
   समता का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 13 में दिया गया है।

3. Article 32 provides Advisory Jurisdiction of Supreme Court.
   अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को प्रदान करता है।

4. Chief Justice of High Court is appointed by Governor of State.
   उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

5. Concept of Judicial Activitism is unknown in India.
   भारत में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का कोई महत्व नहीं है।

6. Independence of Judiciary is ensured under constitution of India.
   भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है।

7. Article 226 deals with Writ Jurisdicts.

   अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है।

8. Judicial review is considered as Basic Structure of Constitution.

   न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान के मूल ढाँचे की मान्यता दी गयी है।

9. Collegium system is not adopted in India for appointment of Supreme Court Judges.

   सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम को भारत में स्वीकार नहीं किया गया है।

10. Supreme Court is not a Court of Record.

    सुप्रीम कोर्ट, अभिलेख न्यायालय नहीं है।